

(a) whether a workshop on 'Role of Business in Consumer Awareness' was organised by ASSOCHAM on May, 27 1988;

(b) if so, whether the extent of benefits, arising from recent concessions offered by way of reduction in Excise and Customs duties, passed on to the consumer was reviewed and considered thereon, if so, what conclusions were arrived at; and

(c) what further steps have since been taken to ensure that the benefits of the concessions were passed on to the consumers?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) A Workshop on the role of "Business in Consumer Awareness" was organised by ASSOCHAM on 23rd May, 1993.

(b) The extent of benefits arising from recent concessions offered by way of reduction in excise and custom duty passed on to consumer was also reviewed in the Workshop. ASSOCHAM conducted a survey to determine the extent of benefits passed on by its members. This survey report was also discussed in the Workshop. The survey analysed (i) product category and the excise duty reduction (ii) post-and-pre-Budget excise duties applicable to various products; and (iii) the excise duty reductions and pre-and-post-Budget maximum retail price.

An analysis of the survey of 42 companies as reported by ASSOCHAM claim that the companies engaged in the production of industrial goods and products like refrigerators, jeeps, tractors, fertilizers, pharmaceuticals, etc. have passed on the excise duty benefits. A few companies engaged in production of goods other than mentioned above was reported to have difficulties in passing on the excise duty concessions in full.

(c) Two meetings with the major trade and industry associations and representatives of Consumer Protection Organisations were taken by the Minister, Civil Supplies, Consumer Affairs and

Public Distribution on 20th April and 7th June, 1993. In the meetings, the Minister stressed the need for the industry to respond positively to the government's gesture in granting excise and customs duty concessions.

All the concerned administrative Ministries were directed to persuade various sectors of industry under their charge to pass on the rebate to the consumers and to take appropriate action. The enforcement authorities of States and Union Territories were also advised to take stern action against erring industries and traders under the Weights and Measures Act. Wide publicity was also given through national and regional newspapers drawing attention of the manufacturers and retailers to charge only the revised reduced prices for prepacked commodities and to apprise them of the legal position. The matter is under the close watch of the Government.

सुपर बाजार में निगरानी कक्ष का कार्य- करण

* 20. श्री गोपाल सिंह जी०
सोलंकी : क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार में उसकी सभी शाखाओं की प्रतिदिन की बिक्री तथा अन्य जानकारी एकत्र करने के लिये एक निगरानी कक्ष कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा ऐसे निगरानी कक्ष में कार्यरत कर्मचारियों की पदवार संख्या कितनी है ;

(ग) इनके कार्य तथा प्रतिदिन बिक्री-वार और वस्तु-वार एकत्रित की जा रही सूचना का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस निगरानी कक्ष में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज की गई

शिकायतों की संख्या कितनी है तथा इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(ड) क्या इस निगरानी कक्ष में एकत्रित जानकारी गोपनीय होती है और क्या संसद सदस्यों ने इस संबंध में अब तक कोई जानकारी मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ?

नागरिक पूति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए० के० एंटनी) : (क) से (च) सुपर बाजार में निम्नलिखित गतिविधियों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिये एक मानीटरिंग कक्ष कार्य कर रहा है:-

(1) क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों तथा छोटी शाखाओं में पिछले दिन की नकद बिक्री;

(2) क्षेत्रीय बिक्री केन्द्रों में 30 प्राथमिकता वाली वस्तुओं के स्टॉक की स्थिति;

(3) 26 गौण वस्तुओं के स्टॉक की स्थिति ;

(4) संसाधन एककों का पिछले दिन का उत्पादन तथा उत्पादकता ;

(5) पैकिंग/पिसाई एककों का पिछले दिन का उत्पादन तथा उत्पादकता ; और

(6) कोई अन्य आकस्मिक सूचना ।

कुल मिलाकर 6 कर्मचारी अर्थात् श्री एच० आर० बावेजा, 'वरिष्ठ पर्यवेक्षक'; श्रीमती बी० मल्होत्रा, कनिष्ठ पर्यवेक्षक; श्रीमती विमल शर्मा, बिक्री सहायक; श्रीमती सरस्वती सक्सेना, बिक्री सहायक; श्री संदीप अरोड़ा, टाइपिस्ट तथा श्री सूरज पाल, हेल्पर सुपर बाजार के मानीटरिंग कक्ष में कार्य कर रहे हैं ।

सुपर बाजार ने सूचित किया है कि मानीटरिंग कक्ष में कार्य कर रहे कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और कक्ष में एकत्र की जाने वाली सूचना गोपनीय स्वरूप की नहीं है । अभी तक किसी संसद सदस्य ने इस बारे में कोई सूचना नहीं मांगी है ।

उत्तर प्रदेश को वस्तुओं का आबंटन

1. श्री ईश दत्त यादव : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश को किन-किन वस्तुओं का तथा कितनी कितनी मात्रा में आबंटन किया गया है ;

(ख) चालू वर्ष में सभी वस्तुओं का कम मात्रा में आबंटन किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन वस्तुओं का आबंटन अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की आवादी, पिछड़ेपन, गरीबी आदि बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है और यदि हां, तो इन मानदण्डों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त कार्य प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) केंद्रीय सरकार सभी राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश शामिल है, को चावल, गेहूँ, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक तथा आयातित खाद्य तेल का आबंटन करती है एक विवरण दिया गया है (नीचे देखिए) जिसमें 1991, 1992 व 1994 में उत्तर प्रदेश को आबंटित चावल, गहूँ लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, साफ्ट कोक तथा मिट्टी के तेल की मात्रा दर्शायी गई है ।